

कार्यालय

एशियन प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविष्यपरिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक- 09/06/2021

कार्यालय भाषः-

अश्वि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय और इम्पियल, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सफल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से अर्थात् संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1148-SHRIMANT R L SUMAN UCHCHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN, MADANPUR, FIROZABAD

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
3	HOME SCIENCE	60	60
4	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	60	60
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा गुणक नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश सत्र/ताजा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समत-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा फिदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के तैयार रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गम बास्पादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता ब्युलन जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0जी0टी0ई0जी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/पाठकादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उपपत्र, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. वई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई ब्युलन उपस्थित किया जाता है तथा दायर ब्युलन के संघर्ष में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिये आगमिक प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आर्पालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला ब्युलन, सहायता ब्युलन आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रविधिक हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित ही है कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, परीक्षाकाल, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0जी0टी0ई0जी0 पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता ब्युलन का अनुपालन न किये जाने अथवा ब्युलन का उत्स्फूर्ण किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुचासम्बद्धता कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 08/08/2021

उपपत्र- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक SHRIMANT R. L. SUMAN UCHHATAR PRAVIDHIK SHAKSHANIK SANSTHAN,
MADANPUR, FIROZABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मौखिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1148-SHRIMANT R L SUMAN UCHCHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
3	HOME SCIENCE	60	60
4	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	60	60
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समाप्त-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में ए0आई0 पाठ्यक्रमों हेतु रा० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु रा० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक राधा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रा० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ती प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संग्रह में समाप्त-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यावली किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित कुलों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उच्च प्रदेश कारण द्वारा निर्गत विधि/निष्पत्ती/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उज्जैन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उज्जैन तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन द्वारा लगाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उच्च प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेगित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर संबंधी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साक-सब्जों, उपकरण, प्राय किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर शेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के ओचक स्वलय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक-सब्जों ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

पु०सं०- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिरिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक SHRIMANT R. L. SUMAN UCHHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN


(एफ०आर० खान)

सचिव

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या-प्राविपापरिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ-दिनांक-12-09-2023

कार्यालय द्वारा,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं जामिनी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से स्थापित विज्ञान स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/जामिनी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तैयार गये निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 1145-श्रतिमान्त R.L. SUMAN UCHCHATAR PRAVIDHIK SHAKI SHANKI BANETHAN				
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2023-24 हेतु		
		अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	R.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	80	80	
2	R.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	80	80	
3	HOME SCIENCE	80	80	
4	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	80	80	
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	80	80	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्रविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/15-30999/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से स्थापित संसद संस्थानों की शर्तों के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में निहित गैर परिष्क संख्या 502/7/2023 में भारतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निमित्त की जाती है।
- ✓ संसद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/जामिनी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/जामिनी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुक्रम संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, वाहन उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निहित शासनद्वारा का अनुमोदन कोषों तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रत्येक संवत्सरा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वाहन-वाहन अदि शुल्क के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शासनद्वारा प्रभावी होंगे, और अनुमोदन कार्यवाही किये जाने अवसरक शीघ्र ही निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु शर्तों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो शर्तों को स्वैच्छिक ही लागू होंगे।
- ✓ संसद में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा अर्जित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संसद को समय-समय पर निहित शासनद्वारा के अनुमोदन निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निहित विधिविधानी अधिनियमों/शासनद्वारा निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उ० प्र० तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा जारी गये विज्ञान, विनियम, अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/जामिनी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन रिक्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संसद का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिये संसद स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रविधिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किये जाता है तो शासन वाद के लक्ष्य में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निमित्त किये जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश की के लिये आवासीय प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/जामिनी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निहित स्वैच्छिक आदेशों निर्णयों का अनुमोदन कार्य बाध्यकारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के द्वारा शासन पोर्टल पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, वाहन-वाहन, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाला शुल्क, वाहन-वाहन अदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संसद के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्थ में सुनिश्चित हो ले कि संस्थ में एकरविक्रयवर्धित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, जमीन, उपकरण आदि का यदि संस्थ द्वारा किसी अन्य परियोजना के कार्यालय में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्थ उद्योगिक का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्त संस्थ को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उक्त परिषद् प्राविधिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ) संस्थाओं का सम्बद्ध किये जाने। विनियमकों, 2010 के अधिनियमनुसार परिषद् की आज्ञा को अपने कार्यवाही, भवन और जमीन को परिषद् की प्राविधिक उद्योगिक के कार्यालय के लिए परिषद् के अधिकार में रखा।
- ✓ संस्थ के अंतर्गत राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्थ में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सम्बद्धता गणना/पंजीयन/पंजीयन/पंजीयन/परिषद् के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्थ को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्दी का अनुपालन न किये जाने अथवा रद्दी का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमनुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जाएगी।



(अनील कुमार मिश्र)

सचिव

फ़ोन- प्राविधिक/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRIMANT R L SUMAN UCHHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN



(अनील कुमार मिश्र)

सचिव

शासित
प्राथमिक शिक्षा परिषद
मदनपुर नदीय, अयोध्या।

सेवा में

शिक्षा सहायक कल्याण अधिकारी,
फिरोजाबाद।

पत्रक-शासित/परिषद/2021/

संलग्नक-दिनांक-

विषय-श्रीमता जयशकुलकुमारी कल्याण अधिकारी प्राथमिक संस्थान, मदनपुर फिरोजाबाद में
संचालित एक वर्षीय दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षण की सुविधाएँ देने संबंधी होने
संबंधी न होने की व्यवस्था जानू होने अथवा न होने के संबंध में अवगत करने वाले
दिपत्रक।

माहोदय,

उपरोक्त विषयक आने पर तांका 4381-84/कल्याण/दशमशिक्षण/2020-21 दिनांक
21 फरवरी 2021 को संदर्भ प्रदान करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा संस्थान शीला भास्करलाल द्वारा
उपरोक्त प्राथमिक शैक्षणिक साधन, मदनपुर, फिरोजाबाद में संचालित निम्न पाठ्यक्रमों में
NBA (National Board of Accreditation) वेबिंग की व्यवस्था लागू होने अथवा न होने
के संदर्भ में सूचना दी जाती है-

क्र.	संस्था कोड एवं संस्था का नाम	संचालित पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की संख्या (अप. सं.)
1.	114B श्रीमता जयशकुलकुमारी कल्याण प्राथमिक संस्थान, फिरोजाबाद।	शिक्षणा इन डेन सर्विस	2
		शिक्षणा इन क्वार्टर एन्ड इन्फार्मेशन सर्विस	2
		शिक्षणा इन सर्विस ऑफिस मैनेजमेंट एन्ड सैक्रेटारियल प्रैक्टिस	2
		शिक्षणा इन ब्यूटी एन्ड हेल्थ केयर	1
		शिक्षणा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2

उक्त के संदर्भ में अवगत कराया है कि उपरोक्त संस्था श्रीमता जयशकुलकुमारी कल्याण प्राथमिक प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान, मदनपुर, फिरोजाबाद परिषद से सम्बद्ध संस्थान है, जिसमें उपरोक्त एक/दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं। माहोदय अवगत करता है कि एक/दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के संचालन का अनुमोदन एग्रीजेंट/एग्रीजेंट द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, जबकि इन पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्राथमिक शिक्षा परिषद स्तर पर प्रदान की जाती है। अतएव संस्था में संचालित एक पाठ्यक्रमों में **NBA (National Board of Accreditation)** वेबिंग की व्यवस्था लागू नहीं है।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

माहोदय
/ (रविंद्र सिंह)
संयुक्त सचिव